(369)

संख्या 983 /V-2011-01(एन0एल0)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3 उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4 अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2011.

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण तथा फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 01–03–2009 द्वारा नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी है एवं जिसकी अवधि शासनादेश संख्या–151/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनांक 06–04–2011 द्वारा दिनांक 31–3–2012 तक बढ़ायी गयी है, एवं तत्क्रम में शासनादेश संख्या–761/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनाँक 29–11–2011 निर्गत किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:–

(1) शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 01–3–2009 द्वारा निर्गत नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 3(3)(च) में उल्लिखित व्यवस्था में संशोधन करते हुये "पट्टेधारक" के स्थान पर "आवेदक" तथा "पट्टागत भूमि" के स्थान पर "कब्जे की भूमि" शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(2) उक्त शासनादेश के प्रस्तर 16 एवं 17 में अंकित अवैध कब्जे की **कट आफ डेट** 08–11–2000 के स्थान पर **दिनाँक 09–11–2011** प्रतिस्थापित की जाती है।

2 उक्त वर्णित संशोधन के अतिरिक्त फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु नजूल नीति 2009 एवं शासनादेश संख्या–761/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनाँक 29–11–2011 के प्राविधान यथावत् लागू होगें।

3. उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण के संबंध में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं मासिक प्रगति आख्या शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 983(1)/V-3/ा0/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
6– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी०सी०शर्मा)
उप सचिव